प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

2. **कुलसचिव,**
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

3. **निदेशक,**
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

4. **कुलसचिव,**
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2017**

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समतुल्य सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान व अन्य भत्तों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-61/2017/3302/71-2-2017-12/2017, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समतुल्य सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-1421/71-2-16-आर0एम0-18/2014, दिनांक 19.05.2016 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, शासनादेश सं0-3288/71-2-16-आर0एम0-18/2014, दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं शासनादेश सं0-1100/71-2-11-पी0-15/2007, दिनांक 02.06.2011 द्वारा सी0बी0एम0आर0, लखनऊ को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से समकक्षता प्रदान की गयी है।

3- अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में गैर शैक्षणिक संवर्ग के सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समतुल्य सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य किये जाने पर सहमति देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1381/दस-2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या-84/2017/5799/71-2-2017-तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ/ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/सी0बी0एम0आर0, लखनऊ/ उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**नीलेश कुमार सिंह**)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।